



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 2017/ ज्येष्ठ 22, 1939

No. 471]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 2017/ JYAISTHA 22, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2017

**सा.का.नि.572(अ).**—केंद्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध में समूह "क" (तकनीकी स्टाफ) भर्ती नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध में समूह "क" (तकनीकी स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 हैं।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. सीमा सुरक्षा बल, जल स्कंध में समूह "क" (तकनीकी स्टाफ) भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा;  
'3. पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर,— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. इन नियमों की अनुसूची में,—  
(क) उप महानिरीक्षक (जल स्कंध) पद से संबंधित कम संख्या 1 के सामने,—  
(क) स्तंभ (4) में—  
(i) शीर्ष के लिए निम्नलिखित शीर्ष होगा, अर्थात् :-  
"वेतन मैट्रिक्स में स्तर";  
(ii) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात्—  
"स्तर — 13क ( 131100—216600 /—रूपये )";  
(ख) स्तंभ 11 में,—  
(i) "प्रतिनियुक्ति ( अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन" उप शीर्ष के अधीन मद (क) के उप-मद (ii) "वेतन बैंड —4 और ग्रेड वेतन रू० 8700" शब्दों एवं अंकों



के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 (118500-214100 रु.)" शब्द एवं अंक रखे जाएंगे;

(ii) "भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन" उप शीर्ष के अधीन, टिप्पण-1 का लोप किया जाएगा;

(ख) सैकण्ड इन कमान (जल स्कंध) पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने,-

(क) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी, अर्थात् :  
"स्तर-12 (रु0 78800 - 209200/-)";

(ख) स्तंभ 11 में,-

(i) "प्रोन्नति" उप शीर्ष के अधीन, टिप्पण-2 का लोप किया जाएगा;

(ii) "प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन" उप शीर्ष के अधीन मद(क) के उप-मद (ii) "वेतन बैंड-3 और ग्रेड वेतन रु0 6600/-" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये)" शब्द एवं अंक रखे जाएंगे;

(iii) "भूतपूर्व" सैनिकों के लिए, प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन" उप शीर्ष के अधीन, टिप्पण-4 का लोप किया जाएगा;

(ग) उप कमान्डेन्ट (जल स्कंध) पद से संबंधित क्रम संख्या 3 के सामने,-

(क) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी, अर्थात् :  
"स्तर -11 ( रु0 67700-208700/-)";

(ख) स्तंभ 11 में,-

(i) "प्रोन्नति" शीर्ष के अधीन, टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ii) "भूतपूर्व सैनिकों के लिए, प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन" उप शीर्ष के अधीन, टिप्पण-4 का लोप किया जाएगा;

(घ) सहायक कमान्डेन्ट (जल स्कंध)पद के संबंधित क्रम संख्या 4 के सामने,-

(क) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी, अर्थात् :  
"स्तर -10 ( रु0 56100-177500/-)";

(ख) स्तंभ 11 में,-

(i) "प्रोन्नति" उप-शीर्षक के अधीन, टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ii) "भूतपूर्व सैनिकों के लिए, प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन उप शीर्ष के अधीन, टिप्पण-4 का लोप किया जाएगा;

[फा. सं. 17/103/2016-कार्मिक/सीसुबल]

प्रशांत निकम, निदेशक (कार्मिक एवं वायु)

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.-7(अ) तारीख 11 जनवरी, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2017

**G.S.R. 572 (E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force, Water Wing, Group 'A' (Technical Staff), Recruitment Rules, 2012, namely:-

1. (1) These rules may be called the Border Security Force, Water Wing, Group-'A'(Technical Staff), Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.



2. In the Border Security Force, Water Wing, Group 'A' (Technical Staff), Recruitment Rules, 2012, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:-

"3. Number of post, Classification and level in the pay matrix- The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."

3. In the said rules, in the Schedule.-

- (a) against serial number 1 relating to the post of Deputy Inspector General (Water Wing),-

(A) in column 4,-

- (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix";

- (ii) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level - 13A (Rs.131100-216600/-).";

(B) In column (11),-

- (i) under sub-heading "Deputation (including short term contact)/ absorption", in item(a), sub-item(ii), for the words and figures "Pay Band-4 and Grade Pay Rs. 8700/-", the words and figures "Level-13 in the pay matrix (Rs. 118500-214100/-)" shall be substituted;

- (ii) under sub-heading "For Ex-serviceman, Deputation/Re-employment",

Note 1 shall be omitted;

- (b) against serial number 2 relating to the post of Second-in-Command (Water Wing),-

(A) in column (4), for the existing entry, following entry shall be substituted, namely:-

"Level -12 (Rs.78800-209200/-).";

(B) in column (11),-

- (i) under sub-heading "Promotion", Note 2 shall be omitted;

- (ii) under sub-heading "Deputation (including short term contact)/absorption", in item(a), sub-item(ii), for the words and figures "pay band-3 and Grade Pay Rs. 6600/-", the words and figures "Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700/-)" shall be substituted;

- (iii) under sub-heading "For Ex-serviceman, Deputation/Re-employment", Note 4 shall be omitted;

- (c) against serial number 3 relating to the post of Deputy Commandant(Water Wing),-

(A) for the entries under column(4), the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-11 (Rs.67700-208700/-)";

(B) in column (11),-

- (i) under sub-heading "Promotion", Note 2 shall be omitted;

- (ii) under sub-heading 'For Ex-serviceman, Deputation/Re-employment',

Note 4 shall be omitted;

- (d) against serial number 4 relating to the post of Assistant Commandant(Water Wing),-

(A) for the entries under column(4), the following entries shall be substituted, namely:-

"Level-10 (Rs.56100-177500/-)";

(B) in column (11),-

(i) under sub-heading "By Promotion", Note 2 shall be omitted;

(ii) under sub-heading "For Ex-serviceman, Deputation/Re-employment",

Note 4 shall be omitted;

[F.No. 17/103/2016-Pers/BSF]

PRASHANT NIKAM, Director(Personnel & Air)

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, sub-Section (i), *vide* notification number GSR-7(E) dated the 11<sup>th</sup> January, 2012.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL  
Date: 2017.06.13 19:39:53 +05'30'